

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक 10(47)त.शि/2016

जयपुर, दिनांक -12-2017
02-1-2018

आदेश

याचिका स० 14647/2016 मिताश्री बनाम राज्य में पारित निर्णय 01.05.2017 की पालना में लिए गये नो अपील के निर्णय की पालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अभिशंभानुसार राज्यपाल महोदय निम्न अभ्यर्थी को, जिनकी जन्मतिथि उनके नाम के सामने अंकित हैं, कार्यभार संभालने की तिथि से प्रवक्ता सिविल के पद पर राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम 2010 (अभियांत्रिकी) के अंतर्गत वेतन श्रंखला 15600-39100 में न्यूनतम ग्रेड पे 5400/-रु. में नियत वेतन 22180/- में अस्थायी रूप से 2 वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	कैटेगरी एवं मेरिट स०	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान
1	सुश्री मिताश्री पुत्री श्री श्याम सुन्दर राकावत, जस्सूसर गेट के अन्दर, हनुमान मन्दिर के पास, स्वामी मौहल्ला, बीकानेर (राज०)	GE,WE R-05	11.03.90	राजकीय पॉलिटेक्निक, बीकानेर (राज०)

- उक्त अभ्यर्थी को 2 वर्ष तक परिवीक्षाकाल के लिये मासिक स्थिर परिलाभ रूपये बी.टेक अभ्यर्थियों को 22180/- पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।
- परिवीक्षाकाल में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगे, अर्थात् परिवीक्षाकाल को वेतन वृद्धि के लिये नहीं गिना जायेगा।
- परिवीक्षाकाल में स्थिर परिलाभों में से कोई कटौतियां (यथा जी.पी.एफ एवं स्टेट इंश्योरेंस) नहीं की जायेगी और इन्हें प्रतिनियुक्ति भत्ता एवं कार्यग्रहण करने पर यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जायेगा।
- 2 वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर इन्हें प्रवक्ता पद की वेतन श्रंखला 15600-39100 ग्रेड पे 5400/- देय होगी तथा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर इन्हें वेतन श्रंखला में न्यूनतम वेतन दिया जायेगा।
- वित्त (नियम) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 13(1) एफ डी/रूल्स/2003 दिनांक 29.1.2004 के अनुसार इनकी नियुक्ति पर पेंशन नियम के स्थान पर अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ. 10 (47)त.शि.2016

जयपुर, दिनांक 08-1-18

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय
जोधपुर,

विषय:- याचिका संख्या 14647/2016 मीताश्री बनाम राज्य सरकार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निदेशानुसार लेख है कि याचिका संख्या 14647/2016 मीताश्री बनाम राज्य सरकार के संबंध में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.05.2017 की पालना में प्रार्थीया मीताश्री को प्रवक्ता सिविल के पद पर राजकीय पोलि0 महाविद्यालय बीकानेर में पदस्थापित किया जा चुका है। उक्त आदेश की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है, तदनुसार मा0 न्यायालय को अवगत कराने का श्रम करावे। साथ ही उक्त प्रकरण में दायर अवमानना याचिका संख्या 1063/2017 मीताश्री बनाम श्री राजहंस उपाध्य को आगामी सुनवाई तिथि पर पारित कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

संलग्न उपरोक्तानुसार।



EDUCATION
OR
17
DATE 12-1-18

भवदीया,

(एम.एम.सितिया)

संयुक्त सचिव त0शिक्षा

प्रतिलिपि:-श्री हेमन्त कुमार वर्मा प्रवक्ता एवं प्रभारी अधिकारी कोर्ट केस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


संयुक्त सचिव त0शिक्षा

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक 8(6)त.शि/2016

जयपुर, दिनांक 27-12-2017

३९

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अभिशंषानुसार राज्यपाल महोदय निम्न अभ्यर्थी को, जिनकी जन्मतिथि उनके नाम के सामने अंकित हैं, कार्यभार संभालने की तिथि से प्रवक्ता, गणित के पद पर राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम 2010 (अभियांत्रिकी) के अंतर्गत वेतन श्रंखला 15600-39100 में न्यूनतम ग्रेड पे 5400/-रु. में नियत वेतन 22180/- में अस्थायी रूप से 2 वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	कैटेगरी एवं मेरिट सं०	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान
1	श्री गजेन्द्र पुरोहित श्री उमा शंकर पुरोहित, 24 ईस्ट समता नगर, MDS स्कूल के पीछे, हिरण मगरी सेक्टर-3, उदयपुर (राज०)	GE R-01	15.02.82	राजकीय पॉलिटेक्निक, जालौर (राज०) (कैम्प-पाली)

1. उक्त अभ्यर्थी को 2 वर्ष तक परिवीक्षाकाल के लिये मासिक स्थिर परिलाभ रूपये बी.टेक अभ्यर्थियों को 22180/- पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।
2. परिवीक्षाकाल में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगे, अर्थात् परिवीक्षाकाल को वेतन वृद्धि के लिये नहीं गिना जायेगा।
3. परिवीक्षाकाल में स्थिर परिलाभों में से कोई कटौतियाँ (यथा जी.पी.एफ एवं स्टेट इश्योरेंस) नहीं की जायेगी और इन्हें प्रतिनियुक्ति भत्ता एवं कार्यग्रहण करने पर यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जायेगा।
4. 2 वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर इन्हें प्रवक्ता पद की वेतन श्रंखला 15600-39100 ग्रेड पे 5400/- देय होगी तथा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर इन्हें वेतन श्रंखला में न्यूनतम वेतन दिया जायेगा।
5. वित्त (नियम) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 13(1) एफ डी/रुल्स/2003 दिनांक 29.1.2004 के अनुसार इनकी नियुक्ति पर पेंशन नियम के स्थान पर अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

प
C-1
वेब साइट
अपलोड करें